राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1965/2012/उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स करणी कन्स्ट्रक्शन, गढ़ी, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/6/2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 08/वेट/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.5.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये आदेश **दिनांक 18.01.2011** के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 का अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.01.2011 को पारित किया जाकर रूपये 57,952/– की मांग सृजित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.5.2012 से स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। इसी दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.01.2011 में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.5.2011 से स्वीकार करते हुए उक्त मांग संशोधित की गई, तथा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 23.5.2012 में प्रत्यर्थी को

लगातार.....2

सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देशों की पालना हो जाने से, प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अपील प्रभाव दिये जाने का औचित्य नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 23.5.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2012 में प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने बाबत दिये गये निर्देशों की पालना, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में ही संशोधन आदेश दिनांक 31.5.2011 से कर लिये जाने, एवं अपील प्रभाव की आवश्यकता नहीं होने बाबत पारित किये गये आदेश दिनांक 9.8.2012 के पश्चात राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश **दिनांक 23.5.2012** की में दिये गये निर्देशों की पालना, कर निर्धारण अधिकारी के संशोधन आदेश दिनांक 31.5.2011 से हो जाने तथा अपील प्रभाव की आवश्यकता नहीं होने बाबत आदेशिका दिनांक 9.8.2012 में अंकित टिप्पणी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 18.01.2011 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2012 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर दिये जाने तथा अपीलीय आदेश को प्रभाव दिये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं होने बाबत की गई टिप्पणी के पश्चात, प्रकरण में अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

लगातार.....3

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना हो जाने से, प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम मैसर्स विशाल ट्रेडिंग कम्पनी [(1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 61]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
19/6/17